संख्या-35/2019/550/क.नि.प्र./26-3-2019-7(90)/2007

प्रेषक,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 25 जुलाई,2019
समाज कल्याण विभाग

विषयः- उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 में पूंजी निवेश(कम्प्यूटराइजेश्न) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्र संख्या-400/लेखा अनुभाग/2019-20 दिनांक 29-05-2019 संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 में पूंजी निवेश(कम्प्यूटराइजेश्न) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 76.12 लाख (रू0 छियत्तर लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि उक्त निगम को उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, अनुगम द्वारा आहरित कर आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।

3- प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। यह भी अवगत कराना है

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कि प्रश्नगत धनराशि का प्रदेशन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता जिसे करने हेतु बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हैं। अत: ऐसी स्वीकृतियां जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराये जायेगें। इस अनुदान के उपभोग पर विततीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए के नियम लागू होगें।

5- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,01-अनुसूचित जातियों का कल्याण,789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 03-उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में पूंजी निवेश-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्याल-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-35/2019/550(1)/क.नि.प्र./26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

1. महालेखाकार, लेखा प्रथमआडिट प्रथम/,उ0प्र0इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग, लखनऊ।
4. निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-4/ वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण,उ.प्र.शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।